

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून
कार्यालय पता : वन भवन, तृतीय तल, 85-राजपुर रोड, देहरादून, 0135-2740391, 2740396 ईमेल-ccfhrd-forest-uk@nic.in
वनादेश सं० 66 / 1-13(13) एच0आर0डी0, देहरादून दिनांक, 15, दिसम्बर, 2023.

पदोन्नति / तैनाती आदेश

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड कार्यालय के पत्रांक 179/1-13 दिनांक 25-07-2023 द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया। पदोन्नति समिति की दिनांक 02-12-2023 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर वर्तमान में उत्पन्न रिक्त के सापेक्ष निम्नलिखित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान रू० 47600-151100 लेवल-8 को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान रू० 56100-177500 लेवल-10 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति की जाती है :-

क्र० सं०	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं
1	2	3
1	श्रीमती कमलेश भट्ट	वन वर्धनिक, साल क्षेत्र, हल्द्वानी
2	श्रीमती भगवती बिष्ट	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी
3	श्रीमती मंजू बहुगुणा	प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, हल्द्वानी
4	श्री कुशल सिंह	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी डैम वन प्रभाग (द्वि०) उत्तरकाशी
5	श्री सुशील कुमार अन्थवाल	प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग
6	श्री प्रदीप रावत	प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, हल्द्वानी
7	श्री वीरेन्द्र सिंह नेगी	प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनन्दा भू०सं०व०प्रभाग, गोपेश्वर
8	श्रीमती जानकी भट्ट	प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
9	श्रीमती ममता भण्डारी	मुख्य वन संरक्षक, मा०सं०वि० एवं का०प्र० देहरादून
10	श्री नागेन्द्र कुमार थपलियाल	उप वन संरक्षक, कालागढ टाइगर रिजर्व प्रभाग लैसडोन
11	श्री सुरेश चन्द्र काण्डपाल	प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग रामनगर
12	श्री जीवन चन्द्र सती	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग रूद्रपुर।
13	श्री मोहन चन्द्र जोशी	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

1. वर्तमान में उक्त पदोन्नत कार्मिक वर्तमान तैनाती कार्यालय में ही योगदान देंगे। इनकी नवीन तैनाती आदेश इनके योगदान सूचना प्राप्त होने के उपरान्त पृथक से जारी किये जायेंगे।

2. यदि पदोन्नति कार्मिक द्वारा अपनी पदोन्नति का परित्याग किया जाता है, तो उक्त कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

3. संबंधित अधिकारी पदोन्नति आदेश होने की तिथि के 15 दिन के अन्तर्गत अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित कार्मिक का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति कर दी जायेगी।

4. नियंत्रक अधिकारी संबंधित कार्मिक के पदोन्नति पद पद योगदान की सूचना तत्काल इस कार्यालय व प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून को अधिकारी के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5. वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम-22(ए)(1) एवं 22-बी(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण संबंधी तिथि विकल्प दिये जाने हेतु इस आदेश निर्गमन की तिथि से 01 माह की समय-सीमा सरकारी सेवक को उपलब्ध होगी और एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

यह आदेश प्रमुख वन संरक्षक, HoFF के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

1.7.2023
कार्यालय प्रमुख
मुख्य वन संरक्षक

4/14/2023
(निशान्त वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक

16.12.2023